



महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
तलाठी पदभरती - २०२३

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख
महाराष्ट्र राज्य पुणे - ४१०००१
दिनांक:- /०६/२०२३

- प्रारूप जाहिरात-

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकुण - ४६२५ पदांच्या सरळसेवा भरती करिता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालयाकडून दि.१७ ऑगस्ट २०२३ ते दि. १२ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रतील एकुण ३६ जिल्हा केंद्रावर ऑनलाइन (Computer Based Test) परिक्षा घेण्यात येईल.

| अ.क्र | संवर्ग | विभाग | वेतन श्रेणी | एकुण पदे |
|-------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| १. | तलाठी | महसूल व वन विभाग | S-८ : २५५००-८११०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते | ४६२५ |

२. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या तलाठी संवर्गातील सर्व पदांचा सविस्तर तपशील सोबतच्या परिशिष्ट- १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे.

३. परिक्षा वार व दिनांक :- (दि.१७ ऑगस्ट २०२३ ते दि. १२ सप्टेंबर २०२३) **संभाव्य तारीख सुस्पष्ट नंतर जाहिर केली जाईल.**

३.१ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

३.२ जाहिरातीची माहिती <https://mahabhumi.gov.in/mahabhumulink> या लिंकवर उपलब्ध आहे. तसेच सदर जाहिरात सर्व विभागीय आयुक्त, व सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकृत वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

४. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-

४.१. पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल (कमी / वाढ) होण्याची शक्यता आहे.

४.२ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास याबाबतची घोषणा / सूचना वेळोवेळी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या घोषणा / सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

४.३ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग व समांतर आरक्षणाची पदे उपलब्ध नाहीत. तथापि, जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणाऱ्या मागणीपत्रामध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल (कमी / वाढ) होण्याची शक्यता आहे. सदर

बदललेली पदसंख्या / अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त पदे परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी वाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.

- ४.४. महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.महिआ २०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२ दि.४ मे २०२३ अन्वये खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरती निवडीकरिता नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेत आलेली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या — त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागाव व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासनाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- ४.५ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.
- ४.६ एखादी जात / जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे अर्ज करतानाच उपलब्ध असेल तर संबंधित जात / जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.
- ४.७ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ दि.१३ऑगस्ट २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण-१११८/प्र.क्र. ३९/१६-अ, दि.१९ डिसेंबर २०१८ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.८ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरिता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन, विभाग क्र: राआधो-४०१९/प्र.क्र३१/१६-अ दि.१२ फेब्रुवारी, २०१९ व दि.३१ मे २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ४.९ शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सीबीसी-२०१२/प्र.क्र. १८२/विजाभज-१, दि.२५ मार्च, २०१३ अन्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार तसेच शासन शुध्दीपत्रक संबंधित जाहिरातीमध्ये नमूद अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी गृहित धरण्यात येईल.
- ४.१० शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सीबीसी-२०१३/प्र.क्र. १८२/विजाभज-१, दि.१७ऑगस्ट, २०१३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गट यामध्ये मोडत नसल्याचे नॉन — क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.
- ४.११ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरिता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील कालावधी विचारात घेण्यात येईल.
- ४.१२ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटीची पूर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरिता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

- ४.१३ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसामान्य रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसामान्य रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.
- ४.१४ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे.
- ४.१६ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.

४.१६ खेळाडू आरक्षण :-

- ४.१६.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/ प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३० जून, २०२२ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.१६.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करित असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.
- ४.१६.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, या विषयीच्या पडताळीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.
- ४.१६.४ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
- ४.१६.५ परीक्षेकरीता अर्ज सादर करतांना खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करित असल्याबाबत सक्षम प्राधिकारीच्याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारस / नियुक्तीकरीता विचार करण्यात येईल.

४.१७ दिव्यांग आरक्षण:-

- ४.१७.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ४.१७.२ महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.७९/ई-१अ दि.२९ जून २०२१ अन्वये तलाठी संवर्गाकरिता दिव्यांगांची पदे सुनिश्चित करणेत आलेली आहे. सदरचा तपशील **सोबतच्या परिशिष्ट —दोन** प्रमाणे आहे.

४.१७.३ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.

४.१७.४ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग / पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहिल.

४.१७.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.

४.१७.६ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४० % दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी/ सवलतीसाठी पात्र असतील.

४.१७.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:-

- १) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४० % अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती.
- २) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४० % अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी –सवलती.

४.१७.८ दिव्यांग व्यक्तीसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८ प्र.क्र. ४६/आरोग्य-६ दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा SADM संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

४.१८ अनाथ आरक्षण :-

४.१८.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अनाथ- २०२२/प्र.क्र/१२२/का-०३ दि.६ एप्रिल २०२३, व समक्रमांकाचे शासन पत्र दि.१० मे २०२३, तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.

४.१८.२ महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभागा कडील, शासन निर्णय क्रमांक अनाथ-२०१८/प्र.क्र. १८२/का-०३ दिनांक दि. ६ सप्टेंबर २०२२ तसेच दि.६ एप्रिल २०२३,अन्वयेअनाथ प्रवर्गासाठी दावा दाखल करणाऱ्या उमेदवाराने अर्ज सादर करतेवेळी महिला व बाल विकास विभागाकडील सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल. अन्य यंत्रणेकडून वितरीत करण्यात आलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

४.१८.३ अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रुजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती देण्यात येईल. नियुक्ती पश्चात ६ महिन्यांच्या कालावधीत आयुक्त, महिला व बालविकास पुणे यांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी / विभाग प्रमुख यांची राहिल.

४.१८.४ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे, त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.

४.१९ माजी सैनिक आरक्षण :-

४.१९.१ उमेदवार स्वतः माजी सैनिक असल्यास त्याने त्याबाबत स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यास माजी सैनिकांचा अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार नाहीत.

४.१९.२ माजी सैनिकांकरीता आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार असतील.

४.२० प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एईएम-१०८०/३५/१६-अ दिनांक २० जानेवारी १९८० तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी नमूद करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहिल.

४.२१ भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : भूकंप-१००९/प्र.क्र.२०७/२००९/१६-अ, दिनांक २७ ऑगस्ट, २००९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहिल.

४.२२ पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्याकरीता आरक्षण :-

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : पअंक-१००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६-अ दिनांक २७ ऑक्टोबर, २००९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्याकरीता आरक्षण राहिल.

४.२३ सदर भरती प्रक्रिया राज्यस्तरावरून एकत्रितरित्या राबविली जात असली तरी, सदर तलाठी संवर्गाची यादी तयार करताना त्या- त्या जिल्ह्यात भरावयाच्या पदांचा विचार करून, प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवड यादी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवड यादी जाहीर केली जाईल. उमेदवारास मिळालेले गुण त्याने अर्ज केलेल्या जिल्ह्याकरीताच विचारार्थ घेतले जातील व त्याचा अन्य जिल्ह्यातील निवड यादीशी कोणताही संबंध असणार नाही. तलाठी संवर्गासाठी नियुक्ती प्राधिकारी हे संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी असतील, परंतु निवड झालेल्या उमेदवारास उपविभाग नेमून देण्याचे सर्व अधिकार हे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना असतील.

५. तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) पदांसाठी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना :-

- १) पेसा (PESA) क्षेत्रातील तलाठी पदे म्हणजेच अनुसूचित क्षेत्रातील तलाठी पदे होय.
- २) शासन अधिसूचना क्र.आरबी/टीसी/ई-१३०१३ (४) नोटिफिकेशन-१४७४/२०१४ दि.९/६/२०१४ नुसार सदर पदे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.
- ३) स्थानिक अनुसूचित जमातीचा उमेदवार याचा अर्थ "जे अनुसूचित जमातीचे उमेदवार स्वतः किंवा त्यांचे आई- वडील किंवा आजी-आजोबा संबंधित जिल्ह्याच्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये दि.२६ जानेवारी १९५० पासून सातत्याने वास्तव्य करीत आहेत" असा होय.
- ४) अनुसूचित जमातीचे उमेदवार स्वतः किंवा त्यांचे आई - वडील किंवा आजी - आजोबा संबंधित जिल्ह्याच्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये दि.२६ जानेवारी १९५० पासून सातत्याने वास्तव्य करीत आहेत. असे उमेदवार तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) पदांसाठी अर्ज करू शकतील.
- ५) अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त अन्य संवर्गाची पदे ही स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेली नसून **परिशिष्ट -१** मध्ये सामाजिक व समांतर आरक्षणात एकत्रित दर्शविण्यात आलेली आहे.

६. पात्रता :-

६.१ भारतीय नागरिकत्व

६.२ वयोमर्यादा :-

६.२.१ वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक :- १ जानेवारी २०२३

६.२.२ विविध अराजपत्रित प्रवर्ग / उपप्रवर्गासाठी किमान व कमाल मर्यादा :-

| अ. क्र | प्रवर्ग | आवश्यक वयोमर्यादा |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या.१२, दि.२५ एप्रिल २०१६ मधील तरतुदीनुसार किमान १८ वर्षापेक्षा कमी व ३८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. |
| २ | मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या.१२, दि.२५ एप्रिल २०१६ मधील तरतुदीनुसार किमान १८ वर्षापेक्षा कमी व ४३ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. तथापी उन्नत व प्रगत गटांमध्ये क्रिमीलेयर (Creamy Layer) मोडणाऱ्या वि.जा-अ, भ.ज.-ब, भ.ज.-क, भ.ज.-ड, विमा.प्र, इ.मा.व., एस.ई.बी.सी आणि ई.डब्ल्यू.एस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) प्रवर्गातील उमेदवारांना ही वयाची सवलत लागू राहणार नाही. |
| ३ | पदवीधारक / पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांसाठी | शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. अंशका-१९१८/प्र.क्र.५०७/१६-अ दि.२ जानेवारी २०१९ मधील तरतुदीनुसार, कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षे राहिल. |
| ४ | स्वातंत्र्य सैनिकांचे नामनिर्देशित पाल्य, सन १९९१ चे जनगणना कर्मचारी व सन १९९४ नंतर निवडणूक कर्मचारी यांचेसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.निवक-१०१०/प्र.क्र.०८/२०१०/१६-अ दि.६/१०/२०१० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे इतकी राहिल. या घटकातील मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी देखील उच्चतम वयोमर्यादा ४५ वर्षे इतकी राहिल. |
| ५ | खेळाडू उमेदवारांसाठी | शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील शासन निर्णय क्र. राक्रीधो-२००२/प्र.क्र./६८/क्रीयुसे-२ दि.१/७/२०१६ मधील तरतुदीनुसार, खेळाडूची गुणवत्ता व पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी असलेल्या विहित वयोमर्यादेत ०५ वर्षांपर्यंत वयाची अट शिथिल करण्यात येईल. तथापि, उच्चतम वयोमर्यादा ४३ इतकी राहिल. |
| ६ | दिव्यांग उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-१०९८/प्र.क्र.३९/९८/१६-अ, दि.१६/६/२००१ मधील तरतुदीनुसार, उच्चतम वयोमर्यादा सरसकट ४५ वर्षे इतकी राहिल. तथापि, दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांचे किमान दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० टक्के असल्याबाबतचे स्थायी वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची निवड झाल्यानंतर नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ वैद्यकीय मंडळाने तो उमेदवार संबंधित पदावर काम करू शकेल असे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याची अंतिम नियुक्ती केली जाईल. सदर प्रमाणपत्रावर उमेदवाराचा फोटो असणे आवश्यक आहे. |
| ७ | प्रकल्पग्रस्त आणि भुकंपग्रस्त उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.प्रकल्प-१००६/मु.स.३९६/प्र.क्र.५६/०६/१६-अ, दि.३/२/२००७ मधील तरतुदीनुसार, कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे इतकी राहिल. सदर वयोमर्यादा सरसकट शिथिल केली असल्याने, मागासवर्गीय प्रकल्पग्रस्त व भुकंपग्रस्त उमेदवारांनाही कमाल वयोमर्यादेबाबत ४५ वर्षांपर्यंतची सवलत राहिल. |
| ८ | माजी सैनिक उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.मासैक-१०१०/प्र.क्र.२७९/१०/१६-अ दि.२०/८/२०१० मधील तरतुदीनुसार माजी सैनिकांसाठी विहित वयोमर्यादेतील सुट ही सदर उमेदवारांच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवेइतका कालावधी अधिक ३ वर्षे इतकी राहिल. तसेच, अपंग माजी सैनिकांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत राहिल. |

तथापि, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय सनिव २०२३/प्र.क्र/१४/कार्या १२ दि.३ मार्च २०२३ अन्वये दि.३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी प्रसिध्द होणाऱ्या भरती जाहिराती करिता कमाल वयोमर्यादेच्या दोन वर्षे शिथिलता दिलेली असल्याने वर नमूद सर्व प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादेच्या दोन वर्षे इतकी शिथिलता असेल.

७. विहित कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :-

एक) प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने परीक्षेकरिता अर्ज सादर करताना खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ तसेच प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.

दोन) विविध सामाजिक व समांतर आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता आजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

| अ.क्र | प्रमाणपत्र / कागदपत्र | फाईल फॉर्मट | किमान फाईल साईज (K.B) | कमाल फाईल साईज (K.B) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| १ | अर्जातील नावाचा पुराव (एस.एस.सी अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता) | PDF | | |
| २ | वयाचा पुरावा | PDF | | |
| ३ | शैक्षणिक अर्हता इत्यादींचा पुरावा | PDF | | |
| ४ | सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा | PDF | | |
| ५ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असल्याबाबतचा पुरावा | PDF | | |
| ६ | अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र | PDF | | |
| ७ | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| ८ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| ९ | खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| १० | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| ११ | प्रकल्पग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| १२ | भूकंपग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| १३ | अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा. | PDF | | |
| १४ | अराखीव महिला, मागासवर्गीय, आ.दु.व, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र | PDF | | |
| १५ | एस.एस.सी नावात बदल झाल्याचा पुरावा | PDF | | |
| १६ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा | PDF | | |
| १७ | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र | PDF | | |
| १८ | विहित नमुन्यातील अनुभव प्रमाणपत्र (ज्या संवर्गाकरिता लागू असल्यास) | PDF | | |
| १८ | MS-CIT प्रमाणपत्र अथवा शासन मान्य | PDF | | |

तीन) उपरोक्त प्रमाणपत्र / कागदपत्रे Mahabhumi संकेतस्थळावरील उपलब्ध लिंकवर उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना मध्ये प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे.

चार) खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ तसेच प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आरक्षणाच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही.

८. सर्वसाधारण सूचना :-

एक) अर्ज फक्त ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येतील.

दोन) अर्ज सादर करण्याकरिता संकेतस्थळ :- <https://mahabhumi.gov.in>

तीन) अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना <https://mahabhumi.gov.in> तसेच सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांचे अधिकृत या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

चार) आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

८.१ जिल्हा केंद्र निवड :-

८.१.१ प्रस्तुत परीक्षेकरीता विविध जिल्हा (परीक्षा) केंद्राचा तपशील <https://mahabhumi.gov.in> संकेतस्थळावरील सदर परीक्षेच्या ----
----- परीक्षी योजना/ पध्दती या सदरामध्ये उपलब्ध आहे.

८.१.२ अर्ज सादर करतानाचा जिल्हा (परीक्षा) केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे.

८.१.३ जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही.

८.१.४ जिल्हा केंद्र निवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या कायमस्वरूपी रहिवासाच्या पत्याचे आधारे संबंधित महसूली मुख्यालयाच्या जिल्हाकेंद्रावर किंवा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत शासनाचे त्या त्या वेळचे धोरण व निर्णय अंतिम मानण्यात येईल.

८.२ परीक्षा शुल्काचा भरणा :-

८.२.१ परीक्षा शुल्क (फी)

| अ.क्र | पदाचे नाव | आवश्यक परीक्षा शुल्क | |
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | खुला प्रवर्ग | राखीव प्रवर्ग (मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) |
| १ | तलाठी- पेसा क्षेत्राबाहेरील | १०००/- | ९००/- |
| २ | तलाठी- पेसा क्षेत्रातील | | ९००/- |

८.२.२ उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील.

८.२.३ परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non – refundable) आहे.

८.२.४ अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या **Submit and Pay Fees** या बटनावर क्लिक केल्यानंतर किंवा मुख पृष्ठावरील माझे खाते या सदराखालील अर्ज केलेल्या पदाच्या यादीतील **Fees Not Paid** अशी सद्यस्थिती लिहिलेल्या जाहिरात / पद/ परीक्षेसामोरील Pay Now या लिंकवर क्लिक करुन परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल.

८.२.५ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील पध्दतीने करता येईल. —

ऑनलाईन पध्दतीने :-

- १) परीक्षा शुल्काचा भरणा प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगद्वारे परीक्षा शुल्क अदा करता येईल.
- २) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यातून परीक्षा शुल्काची रक्कमेची वजावट झाल्यानंतर परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे झाला (Payment Successful) असल्याचा संदेश ----- ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्याशिवाय व परीक्षा शुल्काची पावती तयार झाल्याशिवाय संकेतस्थळावरील संबंधित पृष्ठावरुन आणि / अथवा खात्यातून लॉग आऊट होऊ नये.

- ३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्का भरणा यशस्वी झाला आहे किंवा कसे, याची स्थिती (Status) लगेचच अवगत होईल. खात्यातून Logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.
- ४) परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या अनुषंगाने विहित दिनांक / विहित वेळेपूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करु न उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरिता विचार केला जाणार नाही.

८.२.७ अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया / कालावधी :-

| अ.क्र | तपशील | विहित कालावधी |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | अर्ज सादर करण्याचा कालावधी | दि. जून २०२३ ते रोजी वाजता पासून दि. जुलै २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत |
| २ | ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक | दि. |
| | परिक्षेचा दिनांक व कालावधी | https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर वेळोवेळी माहिती मिळेल |
| | | |

९. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत :-

- ९.१ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व इतर सोयी सवलती उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग २०१९ / प्र.क्र२००/दि.क२, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या लक्षणीय (Benchmark) दिव्यांग व्यक्तींच्याबाबत लेखी परीक्षा घेणबाबतची मार्गदर्शिका -२०२१ तसेच तद्नंतर शासनाचे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- ९.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र / कागदपत्रांसाह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- ९.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वतः केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल.
- ९.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच **शासनाची** विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह कालावधीत अनुज्ञेय असणार नाही.
- ९.५ परीक्षेकरिता लेखनिकाची मदत आणि / अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी **शासनाच्या** संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल, तसेच लेखनिकाची मदत आणि / अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर कळविण्यात येईल.
- ९.६ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी **शासनातर्फे** प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर करण्यापूर्वी शासनाचे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिव्यांग उमेदवारांकरिता मार्गदर्शक सूचनाचे अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहिल.

१०. प्रतिक्षा यादी :-

जाहिरातीत नमूद तलाठी संवर्गातील पदांची प्रतिक्षासूचीसह निवडसूची सर्व प्रकारची परीक्षा होऊन अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष कालावधीकरीता किंवा पुढील निवडप्रक्रियेची कार्यवाही सुरु होण्याचा दिनांक, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत विधीग्राह्य राहिल. तदनंतर सदर प्रतिक्षासूचीसह निवडसूची व्यपगत होईल. तथापि, भरती प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया, निवडसूची, प्रतिज्ञासूची इत्यादीचे अनुषंगाने दिलेले निर्देश तथा सुचना किंवा सुधारणा यथास्थितीत लागू राहतील.

११. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :-

११.१. नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता / परीक्षा विहित वेळेत व विहित संधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल.

११.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार विभागीय / व्यावसायिक परीक्षा.

११.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती आगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेली नसेल तर ती परीक्षा

११.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणी बाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा.

१२. प्रवेश प्रमाणपत्र :-

१२.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे शासनाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावर <https://mahabhumi.gov.in> उमेदवारांच्या प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

१२.२ परीक्षेच्यावेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही.

१२.३ प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या अर्जात नमूद नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. याबाबतची घोषणा आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्वी एक अठवडा आगोदर प्रसिध्द करण्यात येईल.

१२.४ परीक्षेच्या दिनांकापूर्वी ३ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या/ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदत कक्षाकडे संपर्क साधावा.

१२.५ परीक्षेच्यावेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड, किंवा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स, यापैकी किमान कोणतेही एक **मूळ ओळखपत्र** तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे.

१२.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड केलेले ई- आधार सादर करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवारांचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhar Generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंटमध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- आधार वैध मानण्यात येईल.

१२.७ नावामध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रिया यांच्या बाबतीत) नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावात बदल झाल्यासंबंधीचा दाखल व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

१३. परीक्षेस प्रवेश :-

संबंधित परीक्षेच्या प्रवेशप्रमाणपत्रावर नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेच्या उपस्थितीसाठी पात्र समजण्यात येईल.

१४. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतचा सविस्तर तपशीलासाठी [शासनाचे https://mahabhumi.gov.in](https://mahabhumi.gov.in) या संकेतस्थळावरील उमेदवारांकरीता माहिती- विभागातील सूचना –अंतर्गत- सर्वसाधारण सूचना – तसेच परीक्षा या सदराखालील महसूल विभाग (गट क) संवर्ग तलाठी परीक्षा मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे.

१५. शासनाचे <https://mahabhumi.gov.in> संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती / जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल.

१६. सदर जाहिरात आयोगाच्या <https://mahabhumi.gov.in> तसेच ----- या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठिकाण :- पुणे

दिनांक :- /६/२०२३

अपर जमाबंदी आयुक्त, आणि अतिरिक्त संचालक,
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यासा सक्त मानाई आहे. |
| २. प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास शिफारस / नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. |

परिशिष्ट-1
तलाठी पदभरती रिक्त पदांचा तपशील

1.जिल्हा- औरंगाबाद

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुंकपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | एकूण-06 (02-अल्पदृष्टी-LV, 01- कर्णबधिरता अथवा एकु येण्यातील दुर्बलता-HH, 01-अस्थिव्यंग, 02-स्वमग्नता) | 2 | 2 |
| अज ७% | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजड २% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| इमाव १९% | 40 | 13 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 4 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 2 | |
| अराखीव ३८% | 54 | 19 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | | 5 | |
| एकुण | 161 | 55 | 49 | 8 | 23 | 8 | 2 | 6 | 16 | 2 |

2.जिल्हा - जालना

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुंकपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | एकूण 06 (04 कर्णबधीर, 01 अल्पदृष्टी-LV, 01 स्वमग्नता/मंदबुद्धी किंवा क्षमतेची आकलन कमतरता/विशिष्ट शिक्षण अक्षमता मानसिक आजार) | 3 | 1 |
| अज ७% | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | |
| विजाअ ३% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 31 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | | 2 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 40 | 9 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | | 4 | |
| एकुण | 118 | 41 | 35 | 5 | 17 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 |

3.जिल्हा- परभणी

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुंकपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | एकूण 03 (अल्पदृष्टी 02, कर्णबधीर 01) | 2 | 0 |
| अज ७% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 2 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 41 | 15 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 4 | |
| एकुण | 105 | 53 | 28 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |

4.जिल्हा- हिंगोली

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भुकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | एकूण 04 (अल्पदृष्टी 01, कर्णबधीर 02) | 0 | 0 |
| अज ७% | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| विजाअ ३% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| भजब २.५% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| भजक ३.५% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| भजड २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| विमाप्र २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| इमाव १९% | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 29 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | | 3 | |
| एकुण | 76 | 36 | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |

5.जिल्हा- नांदेड

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भुकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | एकूण 03 (अल्पदृष्टी 2, कर्णबधीर 1) | 1 | 1 |
| अज ७% | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 25 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | | 2 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| अराखीव ३८% | 44 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | | 5 | |
| पेसा | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | |
| एकुण | 119 | 25 | 43 | 9 | 27 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 |

6.जिल्हा- बीड

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भुकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 24 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | एकूण 7 (अल्पदृष्टी-02, कर्णबधीर-02, अस्तित्व्यंगता-01, स्वमग्नता मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता विशिष्ट शिक्षण अक्षमता मानसिक आजार-01, बहिरेपणा व अंधत्वसह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व-01) | 1 | 1 |
| अज ७% | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 39 | 15 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | | 5 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 75 | 23 | 23 | 4 | 12 | 4 | 1 | | 8 | |
| एकुण | 187 | 83 | 57 | 5 | 22 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 |

7.जिल्हा- लातूर

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | एकूण 3 (02-अल्पदृष्टी, 01 अस्थिव्यंग) | 2 | 1 |
| अज ७% | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| अराखीव ३८% | 31 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 2 | |
| एकुण | 63 | 20 | 20 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |

8.जिल्हा- उस्मानाबाद

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | कर्ण बधीर -01, अस्थिव्यंग-01, अल्पदृष्टी दृष्टी -01 | 1 | 0 |
| अज ७% | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 18 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 3 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 44 | 16 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 5 | |
| एकुण | 110 | 50 | 36 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |

9.जिल्हा - नागपूर

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अशंकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 26 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | एकूण 7 पदे (2 पदे - कर्णबधिरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता, 2 पदे- अस्थिव्यंगता/कुष्ठरोग मुक्त (leprosy cured)/शारिरिक वाढ खुंटणे (dwarfism)/आम्ल हल्लाग्रस्त (acid attack victims), 3 पदे - स्वमग्नता (Autism/मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (intellectual Disability)/विशिष्ट शिक्षण | 3 | 2 |
| अज ७% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| भजब २.५% | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजक ३.५% | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| भजड २% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 37 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 4 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 17 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 2 | |
| अराखीव ३८% | 63 | 24 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1 | | 5 | |
| एकूण | 177 | 57 | 53 | 9 | 27 | 9 | 4 | 7 | 18 | 2 |

10.जिल्हा - वर्धा

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | एकूण 3 पदे 1 पद - अल्पदृष्टी 1 पद- कर्णबधीर अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता व 1 पद- अस्थिव्यंगता / कुष्ठरोगमुक्त शारीरिक वाढ खुंटणे / आम्ल हल्लाग्रस्त | 1 | 1 |
| अज ७% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| अराखीव ३८% | 32 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 3 | |
| एकूण | 78 | 23 | 25 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 |

11.जिल्हा - भंडारा

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | एकूण 3 पदे 1 पद - अल्पदृष्टी, 1 पद - कर्णबधिरता अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता, 1 पद- स्वमग्नता / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता / मानसिक आजार किंवा दिव्यांग प्रकार अ ते ड मधील एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यासाठी यामधून गुणवतेनुसार | 1 | 1 |
| अज ७% | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजड २% | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| विमाप्र २% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| अराखीव ३८% | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| एकूण | 67 | 23 | 20 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 |

12.जिल्हा - गोंदिया

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | एकूण 2 पदे 1 पद - अल्पदृष्टी, 1 पद- स्वमग्नता / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता / मानसिक आजार तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व | 1 | 1 |
| अज ७% | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजड २% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १०% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| अराखीव ३८% | 22 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | |
| एकूण | 60 | 20 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |

13.जिल्हा - चंद्रपूर

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भूकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | एकूण 6 पदे 2 पदे - अल्पदृष्टी, 2 पदे- कर्णबधीर अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता, 2 पदे- अधिव्यंगता / मेंदूचा पक्षघात, कुष्ठरोग मुक्त/ शारिरीक वाढ खुंटणे / आम्ल हल्लायस्त / स्नायु विकृती | 2 | 1 |
| अज ७% | 27 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 3 | |
| विजाअ ३% | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
| भजब २.५% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| इमाव १९% | 44 | 13 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | | 4 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 20 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | |
| अराखीव ३८% | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 2 | |
| पेसा | 25 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | |
| एकूण | 167 | 53 | 50 | 10 | 24 | 10 | 3 | 6 | 17 | 1 |

14.जिल्हा - गडचिरोली

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भूकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | एकूण 5 पदे 1 पद - अंध/ अल्पदृष्टी, 1 पद- कर्णबधीर अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता, 1 पदे- अधिव्यंगता / मेंदूचा पक्षघात, कुष्ठरोग मुक्त/ शारिरीक वाढ खुंटणे / आम्ल हल्लायस्त / स्नायु विकृती, 1 पद- मंदबुद्धी / स्वमग्नता किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता / मानसिक आजार आणि 1 पद - अ ते ड मधील बहिरेपणा व | 0 | 1 |
| अज ७% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| पेसा | 151 | 54 | 44 | 8 | 21 | 7 | 2 | 15 | | |
| एकूण | 158 | 60 | 44 | 8 | 22 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 |

15.जिल्हा- अमरावती

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भूकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ | |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| अ.जा. (13%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 -पद स्वमग्नता/ मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता/ मानसिक आजार | 1 | 0 | |
| अ.ज. (7%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | |
| वि.जा.अ.(3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| भ.ज.ड. (2%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| इ.मा.व. (19%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ई.डब्ल्यू.एस.(10%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | |
| अराखीव (38%) | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | |
| पेसा | 26 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | | |
| एकूण | 56 | 23 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 1 | | 5 |

16.जिल्हा- अकोला

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 पद -स्वमग्नता मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता /विशिष्ट शिक्षण अक्षमता /मानसिक आजार व 01 - अ ते ड मधील प्रकारातील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व | 0 | 0 |
| अ.ज. (7%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| अराखीव (38%) | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| एकूण | 41 | 19 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |

17.जिल्हा- वाशिम

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 पद (स्वमग्नता/मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता /मानसिक आजार तसेच एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व) | 0 | 0 |
| अ.ज. (7%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव (38%) | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| एकूण | 19 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

18.जिल्हा- बुलडाणा

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-पद- अंध/अल्पदृष्टी व 01 पद - स्वमग्नता किंवा मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता /विशिष्ट शिक्षण अक्षमता /मानसिक आजार तसेच एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व | 1 | 0 |
| अ.ज. (7%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| वि.जा.अ.(3%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| भ.ज.क. (3.5%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| भ.ज.ड. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| वि.मा.प्र. (2%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| इ.मा.व. (19%) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| अराखीव (38%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| एकूण | 49 | 21 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |

19.जिल्हा- यवतमाळ

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 (1-अल्पदृष्टी-LV, 1-कर्णबधिरता अथवा एकु येण्यातील दुर्बलता- HH, 1-स्वमग्नता/मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता/मानसिक आजार- ASD(M), ID, SLD, MI) | 2 | 1 |
| अ.ज. (7%) | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 21 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 2 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| अराखीव (38%) | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| पेसा | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| एकूण | 123 | 54 | 38 | 5 | 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 |

20.जिल्हा- पुणे

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 43 | 15 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 04 – गट अ- अंध / अल्पदृष्टी 04 – गट ब -कर्णबधिरता अथवा एकु येण्यातील दुर्बलता 04 – गट क -अस्थिव्यंगता / मेंदूचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (Leprosy cured) / शारिरीक वाढ खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लायग्रस्त (Acid attack victims) / स्नायुविकृती (Muscular dystrophy) 03 – गट ड स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific Learning Disability) / मानसिक आजार (Mental illness) व गट इ - अ ते ड मधील बहिरेपणा, अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यांसाठी त्यांचेसाठी सुनिश्चित करणेत आलेल्या पदावर | 4 | 4 |
| अ.ज. (7%) | 25 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 2 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| इ.मा.व. (19%) | 76 | 27 | 22 | 4 | 11 | 4 | 1 | | 7 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 37 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 4 | |
| अराखीव (38%) | 141 | 46 | 43 | 7 | 21 | 7 | 3 | | 14 | |
| पेसा | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| एकूण | 383 | 126 | 116 | 19 | 57 | 19 | 7 | 15 | 39 | 4 |

21.जिल्हा- सातारा

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 19 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | एकूण 6 पदे (02 पद अंध / अल्पदृष्टी, 01 पद कर्णबधिर अथवा एकु येण्यातील दुर्बलता , 02 पद क. अस्थिव्यंगता/ cured)/ मेंदूचा पक्षघात कुष्ठरोग, शारिरीक वाढ खुंटणे (dwarfism)/आम्ल हल्लायग्रस्त (acid attack victims / स्नायु विकृती 1 पद ड . स्वमग्नता (Autism/मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability)/विशिष्ट शिक्षण क्षमता (specific learning disability)/मानसिक आजार (mental illness, तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व) | 1 | 1 |
| अ.ज. (7%) | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 34 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | | 4 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव (38%) | 50 | 12 | 14 | 3 | 9 | 6 | 2 | | 4 | |
| एकूण | 153 | 51 | 46 | 9 | 26 | 8 | 2 | | 6 | |

22.जिल्हा- सांगली

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 पदे (1 पद अंध अल्प दृष्टी व 3 पदे कर्णबधिरता) | 0 | 2 |
| अ.ज. (7%) | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 19 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| अराखीव (38%) | 34 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 3 | |
| एकूण | 98 | 36 | 31 | 4 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 |

23.जिल्हा-सोलापूर

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 28 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | एकूण 8 पदे (02 पद अंध / अल्पदृष्टी, 02 पद कर्णबधिर अथवा एकु येण्यातील दुर्बलता , 02 पद क. अस्थीव्यंगता/ cured)/ मेंदूचा पक्षघात कुष्ठरोग, शारिरिक वाढ खुंटणे (dwarfism)/आम्ल हल्लाग्रस्त (acid attack victims / स्नायु विकृती 2 पद ड . स्वमंगनता (A | 3 | 2 |
| अ.ज. (7%) | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 43 | 15 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | | 6 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव (38%) | 73 | 21 | 23 | 5 | 11 | 5 | 0 | | 8 | |
| एकूण | 197 | 82 | 60 | 6 | 25 | 6 | 0 | 8 | 18 | 2 |

24.जिल्हा-कोल्हापूर

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | एकूण 02 पदे (01पद कर्णबधिर व 01 पद अस्थिव्यंग) | 1 | 0 |
| अ.ज. (7%) | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| अराखीव (38%) | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 2 | |
| एकूण | 56 | 16 | 21 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |

25.जिल्हा - नाशिक

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुंकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 21 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6(अल्पदृष्टी - 01 पदे, स्वमग्नता/मंदबुद्धी/विशिष्ट शिक्षण अक्षमता/ मानसिक आजार/बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व - 05 पदे) | 2 | 2 |
| अज ७% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजब २.५% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजड २% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| इमाव १९% | 31 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 3 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 2 | |
| अराखीव ३८% | 74 | 25 | 22 | 4 | 11 | 4 | 1 | | 7 | |
| पेसा | 96 | 28 | 32 | 5 | 14 | 5 | 2 | 10 | 1 | |
| एकूण | 268 | 87 | 83 | 13 | 40 | 13 | 4 | 9 | 28 | 3 |

26.जिल्हा - धुळे

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुंकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 पदे अंध/अल्पदृष्टी - 2 पदे, कर्णबधीर अथवा ऐकू येण्याची दुर्बलता - 2 पदे अस्थिव्यंग - 1 पदे स्वमग्नता/ मंदबुद्धी/ विशिष्ट शिक्षण अक्षमता / मानसिक आजार / बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व - 1 पदे | 2 | 2 |
| अज ७% | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | |
| विजाअ ३% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 31 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 3 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 2 | |
| अराखीव ३८% | 63 | 18 | 17 | 5 | 10 | 4 | 2 | | 7 | |
| पेसा | 49 | 16 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| एकूण | 205 | 67 | 63 | 10 | 30 | 10 | 4 | 8 | 21 | 2 |

27.जिल्हा - नंदुरबार

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भुंकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|--------------|----------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अज ७% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विजाअ ३% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजड २% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव ३८% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| पेसा | 52 | 15 | 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| एकूण | 54 | 17 | 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |

28.जिल्हा - जळगाव

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भूकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 26 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 (अल्पदृष्टी -2 पदे, कर्णबधीर अथवा ऐकु येण्याची दुर्बलता - 2 पदे, स्वमग्नता/ मंदबुद्धी/विशिष्ट शिक्षण अक्षमता/ मानसिक आजार/बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व - 4 पदे) | 3 | 2 |
| अज ७% | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजब २.५% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजड २% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| विमाप्र २% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 37 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 4 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 2 | |
| अराखीव ३८% | 76 | 24 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 | | 8 | |
| पेसा | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | कर्णबधीर अथवा ऐकु येण्याची दुर्बलता - 1 पद | 1 | 0 |
| एकूण | 208 | 69 | 62 | 10 | 32 | 10 | 4 | 9 | 21 | 2 |

29.जिल्हा - अहमदनगर

| सामाजिक प्रवर्ग | रिक्त व भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भूकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अजा १३% | 33 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 (अल्पदृष्टी -3 पदे, ऐकु येण्याची दुर्बलता-2 पदे, स्वमग्नता/ मंदबुद्धी/ विशिष्ट शिक्षण अक्षमता/ मानसिक आजार/ बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्तक प्रकारचे दिव्यांगत्व -4 पदे) | 3 | 2 |
| अज ७% | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| विजाअ ३% | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजब २.५% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भजक ३.५% | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| भजड २% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| विमाप्र २% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| इमाव १९% | 47 | 16 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | | 5 | |
| ई.डब्ल्यू.एस १० % | 27 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | |
| अराखीव ३८% | 90 | 28 | 27 | 5 | 14 | 5 | 2 | | 9 | |
| पेसा | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1(अल्पदृष्टी-1 पद) | 1 | 0 |
| एकूण | 250 | 82 | 76 | 12 | 38 | 12 | 5 | 10 | 25 | 2 |

30.जिल्हा- मुंबई शहर

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पयस्त | भूकंपयस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ | | |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| अ.जा. (13%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 अल्पदृष्टी | 0 | 0 | | |
| अ.ज. (7%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| वि.जा.अ.(3%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| भ.ज.ड. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| इ.मा.व. (19%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| ई.डब्ल्यू.एस.(10%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| अराखीव (38%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | |
| एकूण | 19 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 0 |

31.जिल्हा- मुंबई उपनगर

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अ.ज. (7%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| अराखीव (38%) | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 2 | |
| एकूण | 43 | 23 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |

32.जिल्हा- ठाणे

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 (अल्पदृष्टी - 1 , कर्णबधीर अथवा ऐकू येण्याची दुर्बलता - 1) | 0 | |
| अ.ज. (7%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | |
| अराखीव (38%) | 25 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | |
| पेसा | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| एकूण | 65 | 19 | 21 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | |

33.जिल्हा- पालघर

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2-अल्पदृष्टी, 1-कर्णबधीर अथवा ऐकू येण्याची दुर्बलता 1-अस्थीव्यंगता/ cured)/ मेंदुचा पक्षघात कुष्ठरोग, शारिरिक वाढ खुंटणे (dwarfism)/आम्ल हल्लाग्रस्त (acid attack victims / स्नायु विकृती 1- स्वमग्नता) | 2 | 2 |
| अ.ज. (7%) | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| अराखीव (38%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| पेसा | 109 | 36 | 34 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | | |
| एकूण | 142 | 47 | 43 | 7 | 22 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 |

34.जिल्हा- रायगड

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 33 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2-अल्पदृष्टी; 3-कर्णाबंधीर; 4-अस्थिव्यंग | 3 | 1 |
| अ.ज. (7%) | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 3 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 50 | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | | 7 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 22 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 2 | |
| अराखीव (38%) | 83 | 23 | 21 | 5 | 14 | 5 | 1 | | 5 | |
| एकूण | 241 | 82 | 75 | 9 | 37 | 7 | 1 | 9 | 20 | 1 |

35.जिल्हा- रत्नागिरी

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 28 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | एकूण 7 पदे, अल्पदृष्टी 2, कर्णाबंधीर 2, अस्थिव्यंगता 2, स्वमग्नता 1 | 3 | 0 |
| अ.ज. (7%) | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| इ.मा.व. (19%) | 34 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | | 6 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 20 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 3 | |
| अराखीव (38%) | 69 | 17 | 24 | 6 | 9 | 6 | 1 | | 6 | |
| एकूण | 185 | 41 | 64 | 12 | 35 | 13 | 2 | 7 | 18 | 0 |

36.जिल्हा- सिंधुदुर्ग

| प्रवर्ग | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ.जा. (13%) | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 पदे, अंध/अल्पदृष्टी 1 पद, कर्णाबंधीरता अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता 2 पदे, अस्थिव्यंगता/ मेंदूचा पक्षघात 1 पद, स्वमग्नता/ मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता 2 पदे | 3 | 1 |
| अ.ज. (7%) | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | |
| वि.जा.अ.(3%) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.ब. (2.5%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | |
| भ.ज.क. (3.5%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1 | |
| भ.ज.ड. (2%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | |
| वि.मा.प्र. (2%) | 29 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | | 2 | |
| इ.मा.व. (19%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ई.डब्ल्यु.एस.(10%) | 22 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | | 3 | |
| अराखीव (38%) | 46 | 15 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | | 2 | |
| एकूण | 143 | 40 | 42 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 12 | 1 |